



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052021-227198
CG-DL-E-27052021-227198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 27, 2021/ज्येष्ठ 6, 1943

No. 8]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 27, 2021/JYAISTHA 6, 1943

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2021

का.नि.आ. 11(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 10 (अ), तारीख 25 मई, 2021 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 4 में तारीख 25 मई, 2021 को प्रकाशित किया गया था जिसमें कतिपय छावनी बोर्डों में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट थी, के साथ पठित छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उपधारा (3) के अनुसरण में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कतिपय छावनी बोर्डों, जिनमें उस सारणी के स्तंभ (3) में उपदर्शित सदस्य हैं, के गठन को स्तंभ (4) में उपदर्शित तारीख से अधिसूचित करती है: -

सारणी

क्रम संख्या	छावनी बोर्ड का नाम	उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन छावनी बोर्ड का गठन करने वाले सदस्यों के नाम/पदनाम	तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बदामीबाग	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) रिक्त	03.06.2021

2	जम्मू	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) रिक्त	03.06.2021
3	रामगढ़	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) रिक्त	03.06.2021
4	मेरठ	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) रिक्त	13.07.2021

[फा. सं. 14(8)/2019-डी(क्यू एवं सी)/वॉल-I]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2021

S.R.O. 11(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence number S.R.O. 10 (E), dated 25 May, 2021, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 4, dated the 25 May, 2021 containing the declaration varying certain Cantonment Boards, the Central Government hereby notifies the constitution of the Cantonment Boards specified in column (2) of the Table given below consisting of members indicated in column (3) thereof, with effect from the date as indicated in column (4) thereof:—

TABLE

Serial Number	Name of Cantonment Board	Name/Designation of the members constituting the Cantonment Board under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 13 of the said Act.	With effect from date
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badamibagh	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Vacant	03.06.2021
2	Jammu	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Vacant	03.06.2021
3	Ramgarh	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Vacant	03.06.2021
4	Meerut	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Vacant	13.07.2021

[F. No. 14(8)/2019-D(Q&C)/Vol-I]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.